बिहार सरकार

गृह विभाग (आरक्षी शाखा),

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार

05, हार्डिंग रोड, पटना 800001

(विबसाइट **https://csbc.bihar.gov.in**)

आवश्यक सूचना

संदर्भ : विज्ञापन संख्या 01/2025

विषय : मेधा सूची में नीचे (Below Merit) रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अथवा उनके चयन पर पुर्नविचार हेतु पर्षद को प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संदर्भित विज्ञापन एवं विषय के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के माध्यम से "लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं में भाग लेने के उपरांत भी कई अभ्यर्थी जन्म तिथि के आधार से अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं।" के सम्बन्ध में मेधा सूची में नीचे (Below Merit) रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अथवा पूरक सूची जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि संदर्भित विज्ञापन की कंडिका 6. मेधा सूची की उप कंडिका (iii) में वर्णित है कि "शारीरिक दक्षता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले, एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।"

एवं (iv) में वर्णित है कि "उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में, अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा।"

3. इस सम्बन्ध में एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 01/2025 की कंडिका 6. मेधा सूची की उप कंडिका (iii) एवं (iv) के आलोक में ही Cut-off अंक पर दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के होने पर मेधा सूची में उनके स्थान का

निर्धारण किया जाता है। अतः cut-off अंक के साथ अभिलेखित cut-off जन्म तिथि का तात्पर्य cut-off अंक पर अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्म तिथि है, अर्थात इस अंक पर cut-off जन्म तिथि के पश्चात जन्मे अभ्यर्थी समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी tie breaker के उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर अंतिम रूप से अनुशंसित सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं। भर्ती प्रक्रिया बिहार पुलिस हस्तक नियम, 1978 खण्ड– III के परिशिष्ट – 103 के अंतर्गत अधिसूचित सिपाही की नियुक्ति नियमावली में विहित/ अंकित प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण की गई है। इस नियमावली में प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अथवा पूरक सूची जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

इस पर अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

Rajbaikha
04/07/26.

विशेष कार्य पदाधिकारी
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार

ज्ञापांक 31/के0च0प0(सू0)
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार
05, हार्डिंग रोड, पटना–800001

दिनांक 04/07/2026